Oldel Olicer Learner

Case No4.4/15. ... of 20 ...

	Date	of
	Orde	
P	rocee	ding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

12/16

आवेदक द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिववता। अनावेदक कमांक ०१ व ०२ सिहत श्री केशवसिंह गुर्जर अधिववता। अनावेदक कमांक ०३ द्वारा श्री आर०के० वाजपेयी अधिववता। प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

जभय पक्षों की ओर से समझौता करना व्यक्त किया गया।
आवेदक एवं अनावेदक कमांक 03 वीमा कंपनी की ओर से लोक
अदालत में समझौते हेतु सहमित का आवेदन प्रत्न एवं डॉकेट तैयार कर
प्रस्तुत किया गया, जिसके मुताबिक उभयपक्षों के मध्य प्रकरण की
विचाराधीन सडक दुर्घटना में आवेदक को पहुंची क्षिति के लिए अनावेदक कमांक 03 बीमा कंपनी आवेदक को एकमुश्त 22,000/—रूपये क्षितपूर्ति
राशि देने पर सहमत हुई, आवेदक उक्त क्षितपूर्ति राशि से संतुष्ट है।
उभयपक्षों द्वारा समझौता स्वेच्छापूर्वक किया जाना पाया जाता है, आवेदक
की पहचान श्री अशोक पचौरी आवेदक अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः
विचारोपरांत समझौता स्वीकार किया जाता है, समझौते के आधार पर
आवेदक के पक्ष में अनावेदक कमांक 03 वीमा कंपनी को निर्देशित करते हुए
इस आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है, कि अनावेदक कमांक 03
बीमा कंपनी आवेदक को कथित दुर्घटना में पहुंची क्षति के एवज में एकमुश्त कार्र्य 22,000/—रूपये क्षतिपूर्ति राशि विधिवत एक माह के अंदर भुगतान हेतु
जमा करे जो राशि आवेदक को उसके रूट्यियकृत वैंक में संचालित
बचत/चाल् खाते के माध्यम से भुगतान की जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समझौते के आधार पर समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण विधिवत नस्तीबद्ध किर अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(पी०सी०। आर्य)

पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ कं—20, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

(के०सी० उपध्याय) (सदस्य) खण्डपीठ कं–20, गोहद जिला भिण्ड

(कें0पी0 राठौर) (सदस्य) खण्डपीठ कं—20, गोहद जिला भिण्ड (SV2_12/11/1

की का का कार्य